संख्या–103/प0अ0/2004–05 पर्य0/97–2002

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 23 मार्च, 2004

विषय–केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–393/2–7–364/2003 दिनॉक 03 नवम्बर, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्ष 2003–2004 में केन्द्र वित्त पोषित योजना हेतु संलग्न विवरणानुसार रू0 96.06 लाख केन्द्रांश एवं रू0 28.27 लाख राज्यांश अर्थात कुल रू0 124.33 लाख (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यय मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंन्ध में समय–समय पर ज़ारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को, जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनॉक 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग का यह दायित्व होगा कि वे समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करायेंगे।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10– निर्माण सामाग्री के प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय। निर्माण सामग्री कय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

11– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

12– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण– 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

13– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–3313/वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 21 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2004–05 पर्य0/97–2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
8– वित्त अनुभाग–3।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

शासनादेश संख्या– 183 प0आ0 / 2004–5पर्य0 / 97–02 दिनांक 23 मार्च 2004 का संलग्नक

क्रमांक संख्या	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष2003–04 में स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)			निर्माण इकाई
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1–	पर्यटक आवास गृह पीपलकोटी का उच्चीकरण	21.14	—	21.14	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
2–	जागेश्वर का ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकास	25.00	—	25.00	कुमायूँ मण्डल विकास निगम
3–	मार्गीय सुविधा सोनप्रयाग	4.37	14.13	18.50	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
4–	पर्यटक आवास गृह जानकी चट्टी का उच्चीकरण	1.02	—	1.02	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
5–	मार्गीय सुविधा सतपुली	8.08	11.14	19.22	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
6–	बस पार्किंग जानकी चट्टी	7.50	—	7.50	सी0 एण्ड डी0 एस0
7–	कार पार्किंग सूखा ताल	17.15	3.00	20.15	कुँमाऊ मण्डल विकास निगम
8–	कुँमाऊ में होलीडे कैम्पों की स्थापना	11.80	—	11.80	कुँमाऊ मण्डल विकास निगम
	कुल योग	96.06	28.27	124.33	

(कुल रूपये एक करोड़ चौबीस लाख तेतीस हजार मात्र)

(एन0एन0 प्रसाद)

सचिव